दिनांक 01-11-19 पत्रावली पेश हुई।
वकील पक्षकारान उपस्थित। श्रीमान् SDO साहब/
अवकाश/भ्रमण/स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली
वास्ते .....दिनांक 6-12-19 को पेश हो।

6-12-19 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी
द्वारा दी आख्या धारा सं. 455,
456, 457, 581, 582, 7556/588, 756/589
पर प्रतिवादीगण के वादी की उक्त खातेदारी
भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न
करे। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
जारी किया जाना न्यायोचित में होकर
वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण
के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की
जाती है। पत्रावली लंबकर से कम हो
फैसल शुमार हो। दाखिल दफ्तर हो।
लिपिया अनुसार तैयार किखी जावे हो।

SDO